मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/7/13/75/10/2 भोपाल, दिनांक 12-04-1977

प्रति,

प्रमुख वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश के वनों से निस्तार सुविधाएं ।

-----0-----

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों (जो वन विभाग के प्रबंध में है) से निस्तार सुविधाओं का बड़ा महत्व रहा है । यह निस्तार सुविधायें मुख्यत: जलाऊ लकड़ी, बांस, निस्तारी इमारती लकड़ी, कांटे तथा पशुओं की चराई बाबत् है । इस संबंध में कुछ गलत फहमी फैली हुई है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है ।

राज्य शासन ने इस मामले पर गंभीरता से विचार कर यह निर्णय लिया है कि इन निस्तार सुविधाओं के बारे में जो स्थिति मई 1974 में विद्यमान थी वह फिर से कायम की जाए । अत: अब यह सुविधायें निम्नानुसार है:-

1-बांस

बांस प्रदाय के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

(अ) ग्रामीणों के लिये:- निस्तार पाने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 250 तक बांस दिये जायेंगे । प्रदाय कूप अथवा विभागीय डिपों से किया जावेगा जिसके लिये क्रमश: 15 पैसे अथवा 25 पैसे प्रति बांस के दर से शुल्क लिया जावेगा । जो ग्रामीण पूर्व में अपने निस्तार के लिये स्वंय बांस काट कर लेते थे उन्हें यह सुविधा अभी भी दी जायेगी और इसके लिये शुल्क केवल 5 पैसे प्रति बांस काट कर लेते थे उन्हें यह सुविधा अभी भी दी जायेगी और इसके लिये शुल्क केवल 5 पैसे प्रति बांस लगेगा लेकिन बस्तर जिले में यह शुल्क केवल 2 पैसे प्रति बांस लिया जायेगा ।

(ब) बसोड़ो के लिये:- प्रति बसोड़ परिवार को 1500 तक बांस प्रति वर्ष दिया जायेगा । प्रदाय विभाग द्वारा काटकर कूप अथवा विभागीय डिपो में किया जावेगा । जिसके लिये क्रमश: 40 पैसे प्रति अथवा 60 पैसे प्रति बांस की दर से शुल्क लिया जावेगा । यदि किसी क्षेत्र में बांस उपलब्ध न हो तो सुविधानुसार अन्य क्षेत्र से प्रदाय प्रयास किया जावेगा ।

(स) पान बरेजों के लिये:- प्रति पान बरेजा परिवार को 3 हजार तक बांस प्रतिवर्ष दिया जासेगा । प्रदाय विभागीय डिपों से किया जावेगा और शुल्क की दर 80 पैसे प्रति बांस रहेगी ।

(द) फल उत्पादकों, अगरबत्ती निर्माताओं एवं बीड़ी बनाने वाले के लिये:- इनको आवश्यकतानुसार एक या दो मीटर लंबाई के बांस वन विभाग के डिपों से रूपये 150 प्रति 2,000 मीटर की दर से विकास खण्ड अधिकारी अथवा उद्योग विभाग के सहायक संचालक के प्रमाण पत्र पर दिये जावेगें । एक पार्टी को अधिकाधिक 10 हजार मीटर तक बांस दिया जावेगा ।

2-जलाऊ लकड़ी

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये

(1) शासकीय वनो से कोई भी ग्रामीण गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से स्वंय के निस्तार अथवा बेचने के लिये नि:शुल्क ले जा सकते है ।

(2) इसी प्रकार वास्तविक निस्तार के लिये वनों से ग्रामीण गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी उपलब्धता के अनुसार बैलगाड़ी अथवा भैसा गाड़ी से ला सकते है । जिसके लिये प्रति गाड़ी शुल्क की दर रूपये 3 से अधिक नहीं होगी । लेकिन भूतपूर्व बस्तर एवं कांकेर राज्यों के क्षेत्रों में यह दर क्रमश: 50 पैसे तथा रूपये 1 प्रति गाड़ी रहेगी ।

(3) इसके अलावा ग्रामीणों को विभागीय तौर पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये, विभाग द्वारा काटी

गई ऐसी लकड़ी कूपों में चट्टों के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी । पूरा चट्टा 2::1::1 मीटर का होगा और आधा चट्टा 1::1::1 मीटर का होगा । लकड़ी काटने और चट्टा लगाने का व्यय किसी भी क्षेत्र में रूपये 4 प्रति चट्टा से अधिक नहीं होगा, लेकिन बस्तर जिले में यह व्यय नहीं लिया जावेगा ।

(ब) गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये

1- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गिरी, पड़ी,मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से निःशुल्क लाने की सुविधा है। वही सुविधा गैर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी उपलब्ध होगी ।

2- उपभोक्ताओं के लिये अथवा बेचने के लिये जलाऊ लकड़ी वन कूपों से चट्टों के रूप में दी जावेगी । इसके लिये बाजार भाव एवं बाजार की दूरी को ध्यान में रखते हुये संबंधित वन संरक्षक बिक्री दर निर्धारित करेगें ।

3- शहरों ओर बड़े कस्बों के लिये आवश्यकता के अनुसार जलाऊ लकड़ी की फुटकर बिक्री की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित दरों पर की गई है ।

3- निस्तारी इमारती लकड़ी

वास्ताविक निस्तार के लिये इमारती लकड़ी सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिये निस्तार डिपो पुनः स्थापित किये गये है । इन डिपों से जो इमारती लकड़ी निस्तार हेतु दी जावेगी उसके ढुलाई का वास्ताविक व्यय तो पूरा लिया जावेगा लेकिन रायल्टी केवल आधी ली जावेगी ।

बस्तर जिले में धरपट्टी सुविधा के अन्तर्गत रायल्टी व खर्च दोनों नहीं लिये जावेगें और निस्तारी इमारती लकड़ी वन विभाग द्वारा कूप से काटकर उपलब्ध कराई जायेगी ।

4-कॉटे

वनों से वास्तविक निस्तार के लिये कांटे प्राप्त करने की सुविधा पूर्ववत लागू है । यह सुविधा निःशुल्क होगी ।

5-चराई

अ- राज्य के मवेशियों को वनों में चराई सुविधा देने के उद्देश्य से बनाये गये पुराने नियम लागू रहेगें लेकिन गोवंश, भैसा, भैस, पाड़ा एवं पाड़ी के लिये चरू शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

ब- राज्य के बाहर के मवेशियों को शासकीय वनों में चराई वर्जित है ।

राज्य शासन के यह भी आदेश है कि इस विषय पर पूर्व में प्रसारित सभी आदेश निरस्त माने जायें और विभाग के सभी अधिकारियों एवं सबसे नीचे के स्तर तक के कर्मचारियों को इस संबंध में फौरन अवगत कराया जाये, ताकि जनसाधारण को किसी प्रकार की असुविधा न हो । यह भी आवश्यकत है कि उपरोक्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे ।

हस्ता0
(समर सिंह)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र.7/13/75/10/2 भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 1977

प्रतिलिपि:-

1- समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग मध्यप्रदेश

2- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

3- मुख्य वन संरक्षक (पश्चिम क्षेत्र) और मुख्य वन संरक्षक (पूर्व)

4- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश ।

5- समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग